






फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड

दि नैनीताल बैंक लि0 शाखा कोटपूतली बनाम मिलन शर्मा व अन्य

केस संख्या 06/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01/03/24	<p>राजस्व (गुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली-बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। प्रकरण में वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की सम्पति का भौतिक कब्जा जरिए पुलिस सहायता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाये जाने आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पत्रावली वास्ते सुनवाई आईन्दा दिनांक 11/03/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	
01/03/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित/नगरीगण की जमाने रजिस्ट्रार को पेश की होगी फाइल नं० 24/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	
24/3/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। नगरीगण को पत्रावली नं० 17/3/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	
17/3/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। नगरीगण के वकील के उपस्थित होकर पारित किया कि अज्ञान से राशि वसूल होने के अन्तर्गत 'सी' चाहे की नग. को पत्र नगरीगण पत्रावली नं० 17/3/24 दिनांक 17/3/24 को पेश किया गया है। पत्रावली नं० 17/3/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">  जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) कोटपूतली-बहरोड (राज.) </p>	<p>डा. सी. राशि वसूल होकर बाला अफेयड होने से इसके कोई अर्थ नहीं नहीं चलाया जरिए आदेश  (सी. राशि) 9680874027</p>